

योजना में निम्न श्रेणियों के हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
हितग्राही कृपया अपने श्रेणी को चुनें:-

- (एक) ऐसे ग्राम/टोल/वन क्षेत्र या स्थल जो वर्तमान में अविद्युतीकृत हैं और जहाँ अगले 2-3 वर्ष तक परंपरागत विद्युत पहुँचाने की संभावना नहीं है।
- (दो) ऐसे विद्युतीकृत ग्राम/टोले जिसमें प्रशनाधीन स्थल विद्युत वितरण कम्पनियों की विद्युत लाईन से कम-से-कम 300 मीटर दूर स्थित हो।
- (तीन) नदी या बाँध के समीप ऐसे स्थान जहाँ पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो, एवं फसलों के चयन के कारण जहाँ वाटर पंपिंग की आवश्यकता अधिक रहती हो (जैसे बुरहानपुर का केला क्षेत्र), जिसके कारण कृषकों द्वारा बिजली की वास्तविक खपत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित यूनिट प्रति एच.पी. से अधिक होती है।
- (चार) यह योजना राज्य के उन जिलों में भी क्रियान्वित की जाना प्रस्तावित है, जहाँ विद्युत वितरण कम्पनियों की वाणिज्यिक हानि काफी अधिक है।
- (पाँच) उन क्षेत्रों में भी सोलर पम्प लगाने पर जोर दिया जाएगा, जहाँ विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अत्यधिक वाणिज्यिक हानि के कारण ट्रान्सफार्मर हटा लिए गए हैं व परिणामतः क्षेत्र के किसान असंयोजित हैं।
- (छः) अन्य।

हस्ताक्षर

(आवेदक का नाम
मो.....)